न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 35/2019 (अपील)

उनवान

शंकर लाल आत्मज नन्दलाल जाति भील निवासी करजोदा
तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक सुल्तानपुर वन मण्डल कोटा एवं क्षैत्रीय वन अधिकारी इटावा, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– श्री सत्यनारायण मेघवाल (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 27.11.2018 मिसल नम्बर 22/2018
न्यायालय सहायक वन संरक्षक,कोटा सुल्तानपुर, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 29.11.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं न्याय तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को वनखण्ड मीठोद मे ख0 नं0 302 की 0.64 हैक्टर वन भूमि पर अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को 3 माह की सिविल कारावास से दण्डित करने का तथा 576/–रूपये शास्ति तथा फसल अवजाने के रूप मे राशि 30,000/–रूपये कुल 30576/– रूपये वसूली करने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है । अधिनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट नाका अधिकारी को आधार मानकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को द्वितीय अतिक्रमी का नोटिस दिये बिना ही विधि एवं न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है । अपीलान्ट ने उक्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तथा जुर्माना की राशि जमा करा दी है । अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे पारित किया है । अपीलान्ट को आदेश जेर अपील की सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 08.07.2019 को पुलिस द्वारा अपीलान्ट को गिरफतार करने पर हुआ व जमानत करवायी तथा नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दि0 12.07.2019 को पेश करवाया जिस पर नकल प्राप्त की व उसके बाद जुर्माना की राशि दिनांक 17.07.2019 को जमा करवायी गई और नकल लेकर अपने गांव चला गया और रकम का इन्तजाम कर अपील पेश की है । जो सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 27.11.18 से आज तक डिले कन्डोन करने पर अवधि मध्य पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावे ।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व रेस्पो0 के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही किया है ना ही पूर्व मे उसे बेदखल ही किया है । अपीलान्ट ने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है वर्तमान मे भी उसका कब्जा नही है ।उक्त आराजी पर कब्जा नही करेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. . रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा की रिपोर्ट मे मिसल नं0 172/16 निर्णय दिनांक 29.01.2018 व मिसल नं0 62/2017 निर्णय दिनांक 29.01.2018 से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी इटावा की रिपोर्ट मे मिसल नं0 172/16 निर्णय दिनांक 29.01.2018 व मिसल नं0 62/2017 निर्णय दिनांक 29.01.2018 से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति का अवलोकन अनुसार यह पाते है कि गौका पंचनामा नाका प्रभारी खेडा दिनांक 16.07.19 से वादग्रस्त आराजी से अपीलार्थी का कब्जा हटाकर राजतहवील मे ले लिया गया है । इससे यह साबित है कि उसका विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा था । जिससे सिद्व होता है कि अतिक्रमी का विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी होना सिद्व होता है ।

7. अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते परन्तु चूंकि अपीलान्ट के कथनानुसार उसके द्वारा भूमि पर कब्जा छोडना अंकित किया है । अतः नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट द्वारा तावान जमा कराने व कब्जा हटाने के संबंन्ध में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य मे पुनः अतिक्रमण नही करेगा के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय मे 15 दिवस मे शपथ पत्र पेश करने तथा कब्जा हटाने की व तावान जमा कराने की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा करने की शर्त पर सजा निरस्त की जाती है । अन्यथा सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रभावी रहेगा ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9, निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा